

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष, 2014 की प्रथम नियमित बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 24 जून, 2014 को दोपहर 12-00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 वाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सम्माननीय सदस्य उपस्थित हुए :-

- 1- प्रो0 डी0सी0 गौतम
- 2- डॉ0 एस0सी0 शर्मा
- 3- प्रो0 एस.सी. भटवाल
- 4- श्री चन्द्र शेखर
- 5- चौ0 वरयाम सिंह बैन्स
- 6- श्री बम्बर ठाकुर
- 7- श्री हरीश जनारथा
- 8- प्रो0 एम0एल0 झारटा

—कुलसचिव
सदस्य—सचिव

मद संख्य-1 : कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2014 की प्रथम नियमित बैठक में मैं आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ।

विश्वविद्यालय में पहली बार बी.एड. में प्रवेश के लिए फार्म भरने की पूरी प्रक्रिया ऑन लाईन आरम्भ की गई। जिससे इस प्रवेश परीक्षा को अत्यन्त सफलतापूर्वक सूचना तकनीकी के सहयोग से पूरा किया गया। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केन्द्र में छंटनी परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया में भी मुख्य फार्म विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर उपलब्ध कराया गया जिससे छात्र-छात्राओं को यह फार्म उनके घर-द्वार पर ही इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त हुए तथा इस संचालन में वित्त और समय दोनों की बचत हुई।

विश्वविद्यालय मार्च में आयोजित की गई स्नातक स्तर की अन्तिम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम अतिशीघ्र घोषित किए जा रहे हैं ताकि छात्र-छात्राओं को उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश के समय प्रमाण पत्र उपलब्ध रहे तथा न केवल प्रदेश विश्वविद्यालय बल्कि पड़ोसी विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश लेने में दिक्कत न आए।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां

और कार्यशालाएँ आयोजित की गईं—

1. दिनांक 08.05.2014 को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित राजगढ़ मध्य प्रदेश के शिक्षक श्री के.के.कुरेशी ने **ग्रेगोरियन कैलेण्डर** के बारे में व्याख्यान दिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ग्रेगोरियन विधि से निर्मित दस लाख वर्षीय भारतीय कैलेण्डर गणना के उपलक्ष्य में यह व्याख्यान विश्वविद्यालय व्याख्यान माला के संदर्भ में पांचवा था।
2. दिनांक 09.05.2014 को कन्या छात्रावास परिसर के सभागार में रानी लक्ष्मीबाई कन्या छात्रावास के **वार्षिक कार्यक्रम** की अध्यक्षता की।
3. दिनांक 10.05.2014 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में **पुनःश्चर्या कार्यक्रम** के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान दिया।
4. दिनांक 10.05.2014 को ही विश्वविद्यालय दृश्य कला विभाग की आर्ट गैलरी में राष्ट्रीय स्तर की **पहली पहाड़ी मिनीयेचर पेन्टिंग कार्यशाला** का उदघाटन किया।
5. दिनांक 12.05.2014 को तिब्बत की निर्वासित सरकार के तिब्बत नीति निर्माण संस्थान धर्मशाला के सहयोग से राजनीति शास्त्र विभाग में शिमला समझौता **1914 के 100 वर्ष पूर्ण होने पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित** की गई।
6. दिनांक 12.05.2014 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में **शोध प्रक्रिया पर विशेष समर स्कूल** के आयोजन समारोह में व्याख्यान दिया।
7. दिनांक 14.05.2014 को **संविधान निर्माता डॉ.भीम राव अम्बेडकर की पुण्य तिथि पर अम्बेडकर यूथ एडिफाईंग एसोशियेशन** द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम में अध्यक्षीय व्याख्यान दिया।
8. दिनांक 15.05.2014 को **भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी राजन** हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों, प्राध्यापकों और अतिथियों से रुबरू हुए। विश्वविद्यालय के इतिहास में **पहली बार रिजर्व बैंक के गवर्नर** हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पधारे।
9. दिनांक 16.05.2014 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में **पर्यावरण विज्ञान पर पुनःश्चर्या कार्यक्रम** के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान दिया।
10. दिनांक 17.05.2014 को बिलासपुर, **छत्तीसगढ़ के विद्वान डॉ.सतीश जायसवाल** ने रचना साहित्य में स्थानीयता-बोध पर विशेष व्याख्यान दिया।
11. दिनांक 19.05.2014 को तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व **शिमला स्थित सभी समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों के साथ पत्रकार वार्ता** आयोजित की।

12. दिनांक 21.05.2014 को ग्रीन हिल्स इन्जीनियरिंग कॉलेज कुमारहट्टी, सोलन के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
13. दिनांक 22.05.2014 को देव भूमि हिमाचल में विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग तथा महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (मध्य प्रदेश) के संयुक्त तत्वावधान में "वर्तमान में वेद की प्रासंगिकता तथा भारतीय संस्कृति" विषय पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रारम्भ हुई।
14. दिनांक 23.05.2014 को शैक्षणिक सत्र 2014-15 के जुलाई में आरम्भ होने से पूर्व संकाय के अधिष्ठाताओं, शैक्षणिक विभागों के अध्यक्षों और शोध केन्द्रों और संस्थानों के निदेशकों

के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया। सभी अधिष्ठाताओं से नये शुरू किए जाने वाले विषयों से सम्बन्धित सारी प्रशासनिक औपचारिकताएं अतिशीघ्र पूरी करने के आदेश दिए।

15. दिनांक 23.05.2014 को ही **विभिन्न कर्मचारी संगठनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक** की जिसमें विश्वविद्यालय कोर्ट सदस्य श्री तेज राम शर्मा, ई.सी.सदस्य चौ. वरयाम सिंह बैस, प्रशासनिक अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री बिशन सिंह चन्देल, स्टैनोग्राफर एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री मदन गोपाल शर्मा, चतुर्थ एवं तकनीकी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा आदि शामिल थे।
16. दिनांक 24.05.2014 को **शिक्षक व गैर शिक्षक समुदाय को सभागार में सेवा विस्तार मिलने के बाद सम्बोधित** किया, जिसमें विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण विकास के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने, आपसी मनमुटावों को भुलाकर विश्वविद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए पारदर्शिता अपना कर प्रयत्न करने हकी शपथ ली गई।
17. दिनांक 30.05.2014 को **शिमला स्थित समाचार पत्रों के ब्यूरो प्रमुख और सम्पादकों के साथ विश्वविद्यालय की छवि बनाने के लिए विस्तृत विचार विमर्श** किया गया।
18. दिनांक 02.06.2014 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में **पुनःश्चर्या कार्यक्रम** के उदघाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान दिया।
19. दिनांक 04.06.2014 को **अमेरिका की मिशिगन तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रो. रविन्द्र पाण्डेय** ने भौतिकी विभाग में नैनो तकनीक और जीव विज्ञान पर व्याख्यान दिया।
20. दिनांक 07.06.2014 को विश्वविद्यालय के लिए **अतिरिक्त संसाधन जुटाने वाली समिति** की बैठक की अध्यक्षता की।
21. दिनांक 07.06.2014 को ही **तीनों छात्र संगठनों के पदाधिकारियों से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल** बनाए रखने के लिए तथा बेहतरीन अध्ययन, अध्यापन तथा शोध के लिए विचार-विमर्श किया।
22. दिनांक 09.06.2014 को गेयटी थियेटर में **प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय फिलेटली प्रदर्शनी 'हिमपैक्स-2014'** को आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा विश्वविद्यालय के इतिहास में **हिमाचल प्रदेश डाक परिमण्डल शिमला** द्वारा विश्वविद्यालय का **विशेष आवरण जारी** किया गया।
23. दिनांक 09.06.2014 को ही **विभिन्न कर्मचारी संगठनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक** की जिसमें विश्वविद्यालय कोर्ट निर्वाचित सदस्य श्री तेज राम शर्मा, ई.सी. के निर्वाचित सदस्य चौ. वरयाम सिंह बैस, प्रशासनिक अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री बिशन सिंह चन्देल, स्टैनोग्राफर एसोसियेशन के महासचिव श्री हरि चन्द ठाकुर, चतुर्थ एवं तकनीकी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा आदि शामिल थे। यह बैठक गैर-शिक्षक कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का हल तलाशने के लिए आयोजित की गई।

24. दिनांक 12.06.2014 को कार्यकारिणी परिषद ने माननीय मुख्यमन्त्री श्री वीरभद्र सिंह जी से विश्वविद्यालय के लिए और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिवेदन दिया।
25. दिनांक 16.06.2014 को वर्ष 2004 में गठित की गई अतिरिक्त संसाधन जुटाने वाली समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक से पूर्व केन्द्रीय छात्र संघ विश्वविद्यालय परिसर के 12 सूत्रीय बिन्दुओं पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए सुझावों पर भी चर्चा की।
26. दिनांक 16.06.2014 को ही गणित विभाग द्वारा आयोजित 21 दिवसीय “एडवांस्ड इन्टरव्शनल स्कूल” ‘Diophantine Equations’ के उदघाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
27. दिनांक 17.06.2014 को प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य स्तरीय 15 दिवसीय ‘मेरा हिमाचल—नशा मुक्त हिमाचल’ अभियान के तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
28. दिनांक 18.06.2014 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश के दीक्षांत समारोह में भाग लिया तथा संस्थान के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ विचार—विमर्श किया।
29. दिनांक 21.06.2014 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में उनमुखी कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता की।
30. दिनांक 23.06.2014 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में पुनःश्चर्या कार्यक्रम (भूगोल) के उदघाटन समारोह की अध्यक्षता की।

अब मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आग्रह करता हूँ कि आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या—2: कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठकों दिनांक 01—03—2014 व 03—5—2014 में लिए गये निर्णयों का पुष्टिकरण।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने पिछली बैठकों दिनांक 01—03—2014 व 03—5—2014 में लिए गये निर्णयों का निम्नलिखित संशोधन के साथ पुष्टिकरण किया :—

दिनांक 01—03—2014

(मद संख्या-6(7)(1): कार्यकारिणी परिषद् ने वर्ष 2011 में आई.टी. प्रोग्रामर के पद को भरने के लिए ज्ञापित विज्ञापन संख्या:3/2011 दिनांक 21-10-2011 जिसकी समयावधि समाप्त हो चुकी है को निरस्त करते हुए वित्त समिति द्वारा मद संख्या-7(1) दिनांक 13-2-2014 को हुई बैठक में की गई अनुशंसा के अनुरूप सृजित आई.टी. प्रोग्रामर के पद के विरुद्ध परीक्षा विंग के कम्प्यूटर सैन्टर में कार्यरत एक प्रोग्रामर के इस पद पर समायोजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

(मद संख्या-9): इस मद की रिकाडिंग में शब्द Performing Arts के स्थान पर **Visual Arts** पढ़ा जाये । इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र के लोक प्रशासन विभाग से दृश्य कला विभाग में स्थानान्तरित सहायक आचार्य का पद **कला इतिहास में विशेषज्ञता** (Specialization in History of Arts) के लिए होगा ।

मद संख्या-3: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 01-03-2014 व 3-5-2014 में लिए गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण ।

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठकों दिनांक 01-03-2014 व 3-5-2014 में लिए गये निर्णयों निम्नलिखित [टिप्पणी/संशोधन](#) के साथ अनुमोदित किया :

दिनांक 1-3-2014

(अन्य मद-3): कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय की उपाधि शाखा में उपाधियां लिखने के लिए नियुक्त व्यक्तियों/महिलाओं को दैनिक भोगी के पद पर परिवर्तित करने के मामले को आगामी कार्रवाई के लिए गठित जनारथा समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया ।

इसके अतिरिक्त परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन रू0 8517/- पर रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन रू0 8517/- से बढ़ाकर रू0 10,000/- करने का मामला भी जनारथा समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या-4: कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 12-C(7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णय को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना ।

.....

कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 12-C(7) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

मद संख्या-5: कार्यकारिणी परिषद के माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद के माननीय सदस्यों से निर्धारित समय के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है ।

मद संख्या-6: SBI Mutual Fund के अन्तर्गत निवेशित Pension Corpus Fund एवं CPS की जमा राशि को आहरण करने से पूर्व मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर SBI Mutual Fund के अन्तर्गत निवेशित Pension Corpus Fund एवं CPS की जमा राशि को आहरण कर सावधि जमा (Fix Deposit) में निवेश करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या-7: सहायक आचार्य डॉ० सोनिया खान द्वारा अध्यादेश 36.4 (डी) के प्रावधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक कार्य के लिए उपभोग की गई असाधारण अवकाश की अवधि को पदोन्नति के लिए गणना में लेने के सम्बन्ध में गठित समिति की कार्यवाही को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं ऐसे निर्णय हेतु जैसा कि परिषद् उचित समझे प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने डॉ० सोनिया खान द्वारा अध्यादेश 36.4 (डी) के प्रावधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक कार्य के लिए उपभोग की गई असाधारण अवकाश की अवधि को पदोन्नति के लिए गणना में लेने बारे किये गये आवेदन को अस्वीकृत/निरस्त कर दिया ।

मद संख्या-8: सेवानिवृत्त आचार्य जगतपाल शर्मा, हिन्दी विभाग द्वारा आचार्य के पद पर दिनांक 5-8-2003 से पदोन्नति एवं वरिष्ठता के लाभ को वापिस लेने सम्बन्धी किये गये निवेदन को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं ऐसे निर्णय हेतु जैसा कि परिषद् उचित समझे प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने आचार्य जगतपाल शर्मा (सेवानिवृत्त) के पदोन्नति एवं वरिष्ठता के लाभ को वापिस लेने के लिए किये गये आवेदन पर उनके आचार्य के पद पर की

गई 5-8-2003 से पदोन्नति के आदेश संख्या:1-15/81-हि0प्र0वि0(स्था0) दिनांक 17-9-2012 को निरस्त करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या-9: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी आदेशानुसार ठाकुर शिक्षा महाविद्यालय गॉव व डॉकघर ढलियारा, देहरा जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मान्यता को चालू सत्र के समाप्त होने के साथ ही वापिस (withdrawal) करने बारे विश्वविद्यालय अध्यादेश के अध्याय 38.18 के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने से सम्बन्धित मामला कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने मामले पर विचार-विमर्श करने और सचिव, ठाकुर शिक्षा महाविद्यालय गॉव व डॉकघर ढलियारा, देहरा जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के पत्र दिनांक 25-4-2014 जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) में की गई अपील का हवाला दिया है को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण पर निर्णय लंबित रखा ।

मद संख्या-10: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रामेश्वरी टीचर ट्रेनिंग संस्थान, सारावाई जिला कुल्लू के विद्यार्थियों को बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय समैस्टर की परीक्षा में बैठने हेतु विशेष अनुमति प्रदान करने बारे प्रस्ताव ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने कुलपति महोदय द्वारा प्रदान की गई अनुमति का पुष्टिकरण किया ।

मद संख्या-11: नामावाली परिवर्तन (Change of nomenclature) एम.ए./एम.एस.सी. भूगोल से परिवर्तन करने एम.एस.सी. भूगोल करने तथा सम्बन्धित अध्यादेशों व परिनियमों में संशोधन करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने एम.ए./एम.एस.सी. भूगोल का नाम परिवर्तन कर एम.एस.सी. भूगोल करने के मामले का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया :-

1- अधिष्ठाता अध्ययन	-अध्यक्ष
2- अधिष्ठाता समाज-विज्ञान	-सदस्य
3- आचार्य डी.सी. गौतम	-सदस्य
4- विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग	-सदस्य एवं संयोजक

मद संख्या-12: कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दिनांक 27-4-2013 को हुई बैठक में अन्य मद के अन्तर्गत जिसमें सह-आचार्यों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को गठित की गई समिति की दिनांक 12-04-2013 को हुई बैठक की सिफारिशों को अनुमोदित किया गया था उस पर मामला पुनः कार्यकारिणी परिषद् की बैठक में पुनर्विचार हेतु रखने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त विश्वविद्यालय में सह-आचार्यों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अपनाने का निर्णय लिया ।

मद संख्या-13: श्री नवनीत सूद पूर्व परामर्शदाता (Consultant) National Institute of Smart Governance (NISG) को हि0प्र0 विश्वविद्यालय में रूसा के परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों के कम्प्यूट्रीकृत कार्यान्वयन हेतु निर्धारित मानदेय के आधार पर समेकित रू0 87,000/- केवल पर एक वर्ष की अवधि के लिए रखने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के अनुमोदन हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में रूसा परीक्षा प्रणाली के कम्प्यूट्रीकरण हेतु श्री नवनीत सूद पूर्व परामर्शदाता NISG को निर्धारित मानदेय समेकित रू0 87,000/- प्रतिमाह पर एक वर्ष की अवधि दिनांक 2-6-2014 से 1-6-2015 तक के लिए नियुक्त करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या-14: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष दिनांक 1-11-2013 को हुई विशेष बैठक में अन्य मद के अंतर्गत लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में प्री-फैब्रिकेटेड तकनीक से भवन निर्माण बारे सम्भावनायें तलाशने बारे गठित समिति की सिफारिशें व मै0 सिनेर्जी थरलिंगस्टन मोहाली का प्रस्ताव परिषद् के अवलोकन हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में प्री-फैब्रिकेटेड तकनीक से भवन निर्माण करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा इस तकनीक से पॉयलट प्रोजैक्ट के तहत **सुन्नी** एवं अन्य स्थानों पर बन रहे भवनों के अनुरूप कार्यवाही की जाये ।

मद संख्या-15: विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधान 35.20 में संशोधन करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में कर्मचारियों (शिक्षक एवं गैर-शिक्षक)की राजीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधान 35.20 में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया :

Existing Provision	Proposed Amendment
35.20: No employee shall take part in any political activity. However, the University teachers shall be entitled to contest the State Assembly/Parliament elections and shall be allowed leave of the kind due for the purpose.	In Chapter-XXXV of the Himachal Pradesh University First Ordinances, 1973 (as referred in the said Ordinances) for Ordinance 35.20, the following shall be substituted namely:- 35.20 No Employee (Teaching and Non-Teaching) shall take part in any political activity.

इसके अतिरिक्त परिषद् ने **राजनीतिक गतिविधियां** शब्द परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया :-

- | | |
|--|----------|
| 1- श्री चन्द्रशेखर, सदस्य कार्यकारिणी परिषद् | -अध्यक्ष |
| 2- अधिष्ठाता, विधि संकाय | -सदस्य |
| 3- उप कुलसचिव (सा0प्रशा0) | -संयोजक |

मद संख्या-16: स्वास्थ्य निदेशक, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त स्वास्थ्य अधिकारी (वर्ग- I), वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन, फार्मासिस्ट (वर्ग- I।।।), एवं स्टाफ नर्स के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को विश्वविद्यालय में अपनाने हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त स्वास्थ्य अधिकारी (वर्ग- I), वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन, फार्मासिस्ट (वर्ग- I।।।), एवं स्टाफ नर्स के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को प्रदेश सरकार के **संलग्नक** नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय में अपनाने के लिए अनुमोदित किया ।

इसके अतिरिक्त परिषद् ने विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में सृजित पदों के लिए निम्नलिखित भर्ती एवं पदोन्नति समिति के गठन को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की :-

श्रेणी 1 व 2 के लिए भर्ती एवं पदोन्नति समिति

1- कुलपति	-अध्यक्ष
2-अधिष्ठाता अध्ययन	-सदस्य
3-कार्यकारिणी परिषद् द्वारा मनोनीत एक सदस्य	-सदस्य
4-प्रभारी, स्वास्थ्य केन्द्र	-सदस्य
5-कुलसचिव	-संयोजक

श्रेणी 3 व 4 के लिए भर्ती एवं पदोन्नति समिति

1-अधिष्ठाता अध्ययन	-अध्यक्ष
2- प्रभारी, स्वास्थ्य केन्द्र	-सदस्य
3-कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत एक सदस्य	-सदस्य
4-कुलसचिव	-सदस्य
5-उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (भर्ती शाखा)	-संयोजक

मद संख्या-17: कला भवन भाग-1 (Phase-I) एवं भाग-2 (Phase-II) का नाम कला भवन के स्थान पर अम्बेदकर भवन रखे जाने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमति हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने कला भवन भाग-1 (Phase-I) एवं भाग-2 (Phase-II) का नाम कला भवन के स्थान पर **अम्बेदकर भवन** रखने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या-18: रूसा सत्र प्रणाली (सी.बी.सी.एस.) के अन्तर्गत बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/ओ.टी. तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम (स्नातक) के अधीनस्थ स्थानान्तरण नियमों का अध्यादेश 3.11 में समाहित करने के लिए मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने रूसा सत्र प्रणाली (सी.बी.सी.एस.) के अन्तर्गत बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/ओ.टी. तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम (स्नातक) के अधीन पारस्परिक महाविद्यालय स्थानान्तरण (Inter College Migration) नियमों को **संलग्नक** के अनुरूप विश्वविद्यालय अध्यादेश 3.11 में समाहित करने हेतु अनुमोदित किया ।

मद संख्या-19: प्रदेश सरकार द्वारा सीवरमैन पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अधिसूचना संख्या: 3-29/76-हि.प्र.वि.(सामान्य)खण्ड-7 दिनांक 17-02-2014 को विश्वविद्यालय में अपनाने के पश्चात् इसमें आवश्यक संशोधन हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने प्रदेश सरकार के सीवरमैन पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों जिसे अधिसूचना संख्या: 3-29/76-हि.प्र.वि.(सामान्य)खण्ड-7 दिनांक 17-02-2014 द्वारा विश्वविद्यालय में अपनाया गया है निम्नलिखित संशोधन करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की :

1.	Classification	Technical Staff
2.	Scale	As prescribed by the State Govt. and adopted by the University from time to time.
3.	Appointing Authority	Registrar
4.	Age for direct recruitment.	As prescribed by the State Govt. and adopted by the University from time to time.
5.	Method of Recruitment.	Direct recruitment and Promotion Committee will be the same as notified by the University vide notification No.3-29/76-HPU(Genl.)Vol-IV dated 1.12.2004.

मद संख्या-20: इतिहास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर की गई नियुक्ति को निरस्त/वापिस करने सम्बन्धी प्रकरण को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं ऐसे निर्णय हेतु जैसा कि परिषद् उचित समझे प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने डॉ० बालकृष्ण शिवरम, सह-आचार्य की इतिहास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर की गई नियुक्ति को वापिस करने का निर्णय लिया । परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति के नियमों का कोई भी प्रावधान नहीं है जैसा कि विश्वविद्यालय अधिनियम 35.8 और 35.44-A में पूर्ण रूप से स्पष्ट है । अतः भविष्य में विश्वविद्यालय में इस प्रकार की कोई भी प्रतिनियुक्ति न की जाये और न ही कोई ऐसा प्रस्ताव कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा जाये ।

मद संख्या-21: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष दिनांक 1-3-2014 को हुई बैठक में मद संख्या-3(मद संख्या-9) के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के निर्माण मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों, उनके वेतन पर हो रहे व्यय तथा निर्माण मण्डल के अधीन चल रहे कार्यों का ब्यौरा परिषद् के अवलोकन हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के निर्माण मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों, उनके वेतन पर हो रहे व्यय तथा निर्माण मण्डल के अधीन चल रहे कार्यों के प्रकरण का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय

लिया और यह समिति एक महीने के अन्दर अपनी सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी :

1- श्री हरीश जनारथा	-अध्यक्ष
2- श्री चन्द्रशेखर	-सदस्य
3- कुलसचिव	-सदस्य
4- सहायक कुलसचिव(सम्पदा)	-सदस्य
5-उप-कुलसचिव(सा0प्रशा0)	-सदस्य-संयोजक

इसके अतिरिक्त परिषद् ने यह भी निर्णय लिया उपरोक्त समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में नियुक्त स्टॉफ के युक्तिकरण (Rationalization) का परीक्षण कर अपनी सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

मद संख्या-22: विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कुछ महाविद्यालयों द्वारा बी.बी.ए. तथा बी.सी. ए. कोर्सों में शैक्षणिक सत्र 2013-2014 में प्रवेश की न्यूनतम पात्रता न रखते हुए प्राचार्यों द्वारा कुछ अयोग्य छात्रों को प्रवेश दिया गया जिनका मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कुछ महाविद्यालयों द्वारा बी.बी.ए. तथा बी.सी.ए. पाठ्यक्रमों में सत्र 2013-2014 में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता न रखने वाले छात्रों को प्रवेश देने के मामले का कड़ा संज्ञान लिया और यह निर्णय लिया इन सम्बन्धित महाविद्यालयों से यूनतम शैक्षणिक पात्रता न रखने वाले छात्रों को प्रवेश देने के लिए 10,000/- प्रति प्रवेश की दर से जुर्माना लिया जाये, तथा भविष्य के लिए समस्त प्राचार्यों को ऐसा न करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जायें ।

मद संख्या-23: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष हि0प्र0 विश्वविद्यालय में सरकार की नीतियों के अनुरूप सहायक आचार्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में सहायक आचार्यों की नियुक्ति नियमित आधार पर ही की जाये ।

इस पर चौ0 वरयाम सिंह बैन्स ने यह सुझाव दिया कि दूसरे विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षकों की नियुक्ति नियमित आधार पर की जा रही है अतः इस विश्वविद्यालय में भी गैर-शिक्षकों की नियुक्ति नियमित आधार पर की जाये ताकि विश्वविद्यालय का काम सुचारु रूप से चल सके ।

मद संख्या-24: गठित समिति की सिफारिशों तथा माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षाओं तथा डिप्लोमा कोर्सों की फीस बढौतरी वर्तमान सत्र से लागू करने बारे कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षाओं तथा डिप्लोमा कोर्सों की फीस बृद्धि के लिए गठित समिति की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या-25: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान (Institute of Integrated Himalayan Studies) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा Centre with Potential for Excellence in Particular Area) स्कीम के तहत स्वीकृत रू0 7.00 (सात करोड़ रुपये) अनुदान एवं आयोग समीक्षा समिति की सिफारिशों/अनुशंसाओं के सूचनार्थ एवं अनुमोदन हेतु मामला प्रस्तुत ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (Centre with Potential for Excellence in Particular Area) स्कीम के तहत स्वीकृत रू0 7.00 (सात करोड़ रुपये) अनुदान एवं आयोग समीक्षा समिति की सिफारिशों/अनुशंसाओं को नोट कर अनुमोदित किया ।

मद संख्या-26: डॉ0 नरेन्द्र अवस्थी, परीक्षा नियन्त्रक द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने बारे दिए गए आवेदन एवं सतर्कता जांच दौरान अवकाश पर रहने के प्रकरण कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने डॉ0 नरेन्द्र अवस्थी, परीक्षा नियन्त्रक के विश्वविद्यालय की सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किए गए आवेदन को CCS (Pension) Rules, 1972 -Rule-48-A (3-A) (a)(b) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति हेतु सूचना अवधि में छूट देकर दिनांक 30-6-2014 (अपराहन) को सेवानिवृत्ति प्रदान करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। परिषद् ने निर्णय लिया कि डॉ0 नरेन्द्र अवस्थी के अवकाश पर रहने की अवधि को Leave of kind due माना जाये ।

इसके अतिरिक्त परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा नियन्त्रक के पद पर नियुक्ति के लिए इस पद को विज्ञापित किया जाये और जब तक इस पर नियमित

नियुक्ति

नहीं होती तब तक इस पद पर अन्तःकालीन व्यवस्था के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।

मद संख्या-27: To place before the Executive Council the request of Shri Rahul Sharma, Grantor Trustee on the Trust- '**Harbans Lal -Kailash Chander**' formulated, with regard to return of money amounting to Rs. 1,05,00,000-00 (Rupees One crore five lac only) alongwith the interest accrued, deposited by Shri Rahul Sharma against the above Trust.

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने श्री राहुल शर्मा द्वारा **हरबंस लाल-कैलाश चन्द्र ट्रस्ट** स्थापित करने के लिए प्रदान की गई राशि रू0 1.05 करोड़ वापिस मॉगने के लिए किए गये पत्राचार पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया कि श्री राहुल शर्मा को उनके द्वारा दान दी गई राशि को वापिस किया जाये ।

मद संख्या-28: To place before the Executive Council the recommendations of Resource Mobilization Committee (RMC) with regard to Examination Fee Structure and Other Charges of the University (HPU).

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में संसाधन जुटाने के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि परीक्षा फीस, शिक्षण फीस, व अन्य प्रभार जिसमें वृद्धि करना आवश्यक है का सम्पूर्ण ब्योरा परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ताकि इस पर कोई उचित निर्णय लिया जा सके ।

मद संख्या-29: बी.टैक. (आई.टी.) की विद्यार्थी रूपम चौपड़ा अनुक्रमांक 61327 परीक्षा परिणाम सुधार एवं अधिसूचना की अनुमति हेतु कार्यकारिणी परिषद् में मद रखने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने बी.टैक. आई.टी की छात्रा रूपम चौपड़ा अनुक्रमांक 61327 जिसका तृतीय सत्र का परीक्षा परिणाम इन्टर्नल असैस्मेंट न जोड़ने के कारण री-अपीयर अधिसूचित किया गया था का सम्बन्धित विभाग से इन्टर्नल असैस्मेंट मंगवाकर इसके परीक्षा परिणाम में आवश्यक सुधार/संशोधन करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि भविष्य में इस प्रकार की कोई लापरवाही न की जाये ।

यथा-स्थान की गई चर्चा:

श्री चन्द्रशेखर

सम्माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि विश्वविद्यालय के होटल प्रबन्धन कोर्स में 1 करोड़ से ऊपर का कोई अनुदान प्राप्त हुआ है लेकिन विश्वविद्यालय इस राशि को व्यय नहीं कर पाया है । इसके अतिरिक्त उनके ध्यान में यह भी लाया गया है कि विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग में कोई S.E.M. यन्त्र दयनीय हालत में वेकार पड़ा है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है और यह यन्त्र उपयोग न होने के कारण खराब हो रहा है । अतः इन दोनों मामलों की स्थिति से परिषद् को अवगत किया जाये ।

श्री शेखर जी ने आयुर्वेदिक महाविद्यालय जोगिन्द्र नगर के छात्रों के परीक्षा परिणाम कैरी-ओवर सिस्टम के अंतर्गत घोषित कर इस मामले का शीघ्रातिशीघ्र समाधान किया जाये । इसके अतिरिक्त श्री चन्द्रशेखर जी ने विश्वविद्यालय के यू.आई.आई.टी. में एक आई. आर.डी.पी. छात्र के प्रवेश का मामला उठाया और कहा कि यह छात्र गरीब परिवार (IRDP)से सम्बन्ध रखता है और इसने प्रवेश परीक्षा में भी 99 नम्बर ले रखे हैं यदि विश्वविद्यालय नियमों में कोई प्रावधान है तो इसे यू.आई.आई.टी. में प्रवेश दिया जाये ।

श्री हरीश जनारथा

सम्माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा ने कहा कि डॉ० रुना मैहता व डॉ० राजेन्द्र वर्मा जिनका विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला से अस्थायी रूप से विश्वविद्यालय के विधि विभाग में स्थानान्तर किया गया है की सेवाओं को एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जाये । अतः कार्यकारिणी परिषद् ने उपरोक्त सहायक आचार्यों की सेवाओं को एक वर्ष की अवधि दिनांक 18-7-2014 से 17-7-2015 तक के लिए विश्वविद्यालय में लेने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

चौ० वरयाम सिंह बैन्स

सम्माननीय सदस्य चौ० वरयाम सिंह बैन्स जी ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टाफ कॉलेज में कार्यरत श्री राकेश वर्मा, सेवादार जो सेवादार के सृजित पद के विरुद्ध तदर्थ आधार पर नियुक्त थे का मामला विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रोजेक्टों/स्कीमों में कार्यरत कर्मचारियों के विश्वविद्यालय में विलय के लिए जनारथा समिति को प्रेषित हुआ था को कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 28-9-2013 को हुई बैठक में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को अनुमोदित किया गया है जबकि उक्त सेवादार पहले ही वर्ष 2009 में तदर्थ आधार पर नियुक्त था । अतः 28-9-2013 को दोबारा तदर्थ आधार पर हुई नियुक्ति से उक्त श्री राकेश वर्मा के वेतन में कटौती हुई है । जिस पर परिषद् ने मामले को दोबारा जनारथा समिति के पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया । परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि जब तक जनारथा समिति इसका पुनः परीक्षण नहीं कर लेती तब तक इसे मिल रहे पुराने वेतन को संरक्षित रखा जाये ।

कार्यकारिणी परिषद् ने विज्ञान विषय छोड़कर सभी संकायों में शोध-मार्गदर्शन (Ph.D.) की पाँच सीटें (8 से 13) बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की, और यह निर्णय लिया कि महाविद्यालयों के सह-आचार्य जो शोध-मार्गदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों का विश्वविद्यालय आचार्यों के साथ सह-परिदर्शक (Co-Guide) के रूप में Ph.D छात्रों का शोध-मार्गदर्शन करेंगे ।

कार्यकारिणी परिषद् ने हि०प्र० विश्वविद्यालय और फ्रेजरवैली विश्वविद्यालय (कैनेडा) के मध्य बी.बी.ए. कोर्स शुरू करने के लिए किये गये MoU को इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि बी.बी.ए. कोर्स में हिमाचल प्रदेश के कुछ विद्यार्थियों के लिए स्वयं-पोषित योजना के अंतर्गत सीटें आरक्षित की जायें ।

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी संस्थानों में एम.फिल. इत्यादि पाठ्यक्रम स्वयं-पोषित योजना के अंतर्गत शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की ।

कार्यकारिणी परिषद् ने हिमाचल प्रदेश में प्रदेश से बाहर के विश्वविद्यालयों द्वारा खोले गये अध्ययन केन्द्रों पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

के नियमों का सर्वथा उल्लंघन बताया। परिषद् ने यह निर्णय लिया कि इन अध्ययन केन्द्रों को बन्द करने के लिए प्रदेश सरकार से कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाये।

कार्यकारिणी परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सीमा के अन्दर Public Private Participation (PPP) Model के अन्तर्गत अधिक से अधिक अध्ययन केन्द्र खोलने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की और इसके यथाशीघ्र कार्यान्वयन के लिए माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(आचार्य एम.एल. झारटा)
कुलसचिव
सदस्य—सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता०/—

(आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी)
सभापति/कुलपति